रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102021-230256
CG-MH-E-08102021-230256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943**
No. 437] **NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 17 सितम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/79/2016-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन (एसपीएमपी) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में एंकरेज डिस्चार्ज और बार्ज हैंडलिंग के लिए 'स्टीवडोरिंग ऑपरेशन' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता अवधि में 27 दिसंबर 2021 तक का विस्तारण, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार वृद्धि करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/79/2016-केओपीटी

श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन ------ आवेदक

कोरम:

(i) श्री. टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री. सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर 2021 के 15 वें दिन पारित)

यह मामला श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन (एसपीएमपी) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' के लिए 'स्टीवडोरिंग ऑपरेशन' सहित 'स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता की अवधि के विस्तार से संबंधित है।

2.1. एचडीसी में 'स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क को इस प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/79/2016-केओपीटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आदेश को भारत के राजपत्र में 26 फरवरी 2018 के राजपत्र संख्या. 76 पर अधिसूचित किया गया था। भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद अपफ्रंट प्रशुल्क प्रभावी हो गया था और 3 वर्ष अर्थात 27 मार्च 2021 तक वैध था।

2.2. उक्त आदेश के तहत, एसपीएमपी को भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना से 3 महीने के भीतर एचडीसी में एंकरेज डिस्चार्ज और बार्ज हैंडलिंग के लिए स्टीवडोरिंग संचालन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, एसपीएमपी ने उक्त सुविधा के लिए एक प्रस्ताव दायर किया और इस प्राधिकरण द्वारा एक आदेश संख्या टीएएमपी/8/2019-केओपीटी दिनांक 14 जून 2019 पारित किया गया । उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 11 जून 2019 को राजपत्र संख्या. 246 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। उक्त शुल्क भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुए और इनकी वैधता अवधि एचडीसी के लिए स्वीकृत स्टीवडोरिंग और तट प्रबंधन संचालन के लिए मौजूदा शुल्क की वैधता अवधि के साथ 27 मार्च 2021 तक एसपीएमपी के सह-कालिक (को टर्मिनस) रहेगी।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, एसपीएमपी के एचडीसी ने अपने पत्र सं. जीएम(टी)/42/1022 दिनांक 21 अप्रैल 2021 के तहत निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

(i) एचडीसी में स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क को टीएएमपी के आदेश संख्या टीएएमपी/79/2016-केओपीटी दिनांक 19 जनवरी 2018 के तहत अनुमोदित किया गया था और दिनांक 26 फरवरी 2018 के राजपत्र सं 76 के तहत भारत के राजपत्र (जीओआई) में अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, एचडीसी में एंकरेज डिस्चार्ज और बार्ज हैंडलिंग के लिए स्टीवडोरिंग संचालन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क, टीएएमपी द्वारा, आदेश संख्या टीएएमपी/8/2019-केओपीटी दिनांक 14 जून 2019 के तहत अनुमोदित किया गया था और भारत सरकार राजपत्र सं. 246 दिनांक 11 जुलाई 2019 के तहत अधिसूचित किया गया था और टीएएमपी के दोनों आदेश 27 मार्च 2021 तक वैध थे।

(ii) चल रही महामारी की स्थिति के कारण, जिसमें व्यापार को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वर्तमान श्रम दर, उपकरण किराया शुल्क और बंदरगाह में कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन से जुड़ी नई प्रस्तावित दरों की गणना के लिए विभिन्न अन्य सहायक खर्चों को संबंधित एजेंसियों से एकत्र नहीं किया जा सका है। जैसा कि समझा गया है, अनुमोदन के लिए प्रस्तावित दरों को अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से व्यापार से आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

(iii) इन परिस्थितियों में, एचडीसी में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क' के संशोधित दरमान (एसओआर) के कार्यान्वयन के संबंध में,

अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता अवधि को आगे 6 महीने, अर्थात 28 मार्च 2021 से 27 सितंबर 2021 तक या प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ।

(iv) इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से नई दरें जल्द ही प्रस्तावित की जाएंगी। विस्तार अवधि के दौरान दिनांक 01 अप्रैल 2020 से यथा-सूचकांकित मौजूदा दरों को अप्रैल 2021 में कोई और सूचकांकन के बिना, जारी रखने का प्रस्ताव है

3.2. तदनुसार, एसपीएमपी ने, एसपीएमपी के एचडीसी में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता अवधि, 28 मार्च 2021 से 27 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3.3. इसके बाद, एसपीएमपी ने अपने ई-मेल दिनांक 21 जून 2021 के हमारे माध्यम से किए गए अनुरोध पर, 10 जून 2021 को हुई एसपीएमपी के न्यासी बोर्ड की बैठक के बोर्ड की कार्यवाही के प्रारुप की एक प्रति अग्रेषित की और सूचित किया कि इस मामले पर न्यासी बोर्ड द्वारा चर्चा की गई थी और इसे अनुमोदित किया गया।

4.1. चूंकि एचडीसी में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और एसपीएमपी द्वारा किए गए अनुरोध पर आधारित है और एसपीएमपी के एचडीसी को अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए आवश्यक समय और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक समय पर विचार करना है, एसपीएमपी द्वारा दायर किया जाने वाला प्रस्ताव और एसपीएमपी के एचडीसी में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए 27 मार्च 2021 के बाद अपफ्रंट प्रशुल्क के क्रियान्वयन आई रिक्तता (वेक्यूम) से बचने के लिए, मौजूदा अग्रिम प्रशुल्क की वैधता अवधि में विस्तार करना उचित माना जाता है।

4.2. तथापि, जैसा कि एचडीसी द्वारा वैधता अवधि को 27 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, यह अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी इसलिए यह प्राधिकरण एसपीएमपी के एचडीसी में 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए एसपीएमपी के एचडीसी के अनुरोध के अनुरुप मौजूदा अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता अवधि को 09 माह अर्थात 28 मार्च 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक या एसपीएमपी के द्वारा 'एंकरेज डिस्चार्ज' और 'बार्ज हैंडलिंग' सहित 'स्टीवडोरिंग' और 'शोर हैंडलिंग ऑपरेशन' के लिए दायर किए जाने वाले प्रस्ताव के अनुमोदन, जो भी पहले हो, के लिए आगे बढ़ाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./302/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September, 2021

No. TAMP/79/2016-KOPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling operation including Stevedoring operation for anchorage discharge and barge handling at Haldia Dock Complex (HDC) of Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP) for period upto 27 December 2021, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/79/2016–KOPT

Syama Prasad Mookerjee Port --- Applicant

QUORUM:

(i) Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling operation including Stevedoring operation for anchorage discharge and barge handling at Haldia Dock Complex (HDC) of Syama Prasad Mookerjee Port (SPMP).

2.1. The existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operations at HDC was approved by this Authority vide its Order No. TAMP/79/2016-KOPT dated 19 January 2018. This Order was notified in the Gazette of India on 26 February 2018 vide Gazette No. 76. The upfront tariff had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and was valid for 3 years i.e. upto 27 March 2021.

2.2. Vide the above said Order, the SPMP was advised to file a proposal for fixation of upfront tariff for Stevedoring operations for anchorage discharge and barge handling at HDC, within 3 months from the notification of the Order in the Gazette of India. Subsequently, the SPMP filed a proposal for above said facility and this Authority has passed an Order No. TAMP/8/2019-KOPT dated 14 June 2019. The said order was notified in the Gazette of India on 11 June 2019 vide Gazette No. 246. The said charges came into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus with the validity of the existing charges for the stevedoring and shore handling operations as approved for HDC of SPMP, upto 27 March 2021.

3.1. In this backdrop, the HDC of SPMP vide its letter no. GM(T)/42/1022 dated 21 April 2021 has made the following submissions:

(i) The upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling operation at HDC was approved by TAMP vide Order No. TAMP/79/2016-KOPT dated 19 January 2018 and notified in the Gazette of India (GOI) vide G. No. 76 dated 26 February 2018. Further, the Upfront Tariff for stevedoring operations for anchorage discharge and barge handling at HDC was approved by TAMP vide Order No. TAMP/8/2019-KOPT dated 14 June 2019 and notified in the GOI vide G. No. 246 dated 11 July 2019 and both the TAMP Orders were valid upto 27 March 2021.

(ii) Due to ongoing pandemic situation in which various difficulties faced by the Trade, the current labour rates, equipment hire charges & various other ancillary expenses connected with the cargo handling operation in the port could not be gathered from the concerned agencies for calculating the fresh proposed rates. As understood, some more time will be required to collect the necessary information from the trade both formally as well as informally to finalize the rates to be proposed for approval.

(iii) Under the circumstances, it is requested to extend the validity of the Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling operation including anchorage discharge and barge handling at HDC, for a further period of 6 months i.e. 28 March 2021 to 27 September 2021 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates (SOR) of Upfront Tariff, whichever is earlier..

(iv) Further, it is also stated that new rates shall be proposed soon with the approval of the Board of Trustees, the existing rates as indexed w.e.f. 01 April 2020 is proposed to be continued during the extension period with no further indexation in April 2021.

3.2. Accordingly, SPMP has requested to extend the validity of the existing upfront tariff for Stevedoring and Shore handling operation including anchorage discharge and barge handling at HDC of SPMP for a period of 6 months w.e.f. 28 March 2021 till 27 September 2021.

3.3. Subsequently, at our request, the SPMP vide its e-mail dated 21 June 2021 has forwarded a copy of the Draft Board Proceedings of the Meeting of the Board of the Trustees of SPMP held on 10 June 2021 and conveyed that the matter was discussed and approved by its Board of Trustees.

4.1. Since the validity of the upfront tariff for Stevedoring and Shore handling operation including anchorage discharge and barge handling at HDC has already expired and based the submissions made by SPMP and considering the time required for HDC of SPMP to file its proposal and the time required for processing the proposal to be filed by the SPMP and in order to avoid a vacuum in the levy of the upfront tariff for Stevedoring and Shore handling operation including anchorage discharge and barge handling at HDC of SPMP, it is felt appropriate to extend the validity of the existing upfront tariff beyond 27 March 2021.

4.2. However, given that the extension of validity period upto 27 September 2021 as requested by HDC will soon expire, this Authority based on its collective application of mind, extends the validity of the existing upfront tariff for Stevedoring and Shore handling operation including Stevedoring operations for anchorage discharge and barge handling at HDC of SPMP for a period 9 months from 28 March 2021 to 27 December 2021 or till approval of new upfront tariff for Stevedoring and Shore handling operation including Stevedoring operation for anchorage discharge and barge handling based on the proposal to be filed by the SPMP, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./302/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.08 16:51:05 +05'30'